

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
अधिसूचना

दिनांक 09/05/2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक: 16/अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कालम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम (7) में दर्शित प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 18.05.2018 को प्रकाशित किया गया था। ग्राम बेलपाली के प्रकरण में लोकसभा चुनाव 2019 के कारण आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने के कारण प्रकरण में दिनांक 17.05.2019 तक नियत समयावधि में अवार्ड पारित नहीं किया जाना संभावित न होने पर उक्त अधिनियम की धारा 25 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार समयसीमा वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है।

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम /प.ह.नं.	कुल खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
1	2	3	4	5	6	7
रायगढ़	पुसौर	बेलपाली प.ह.नं. 05	06	0.335	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़	केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत आमपाली माईनर नहर हेतु भू-अर्जन

प्रतिहस्ताक्षर

अ.वि.अ. (प्र.) एवं
भू-अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एस. अहिरवार)

कलेक्टर रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग